

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नया रायपुर

—0—

अधिसूचना

नया रायपुर दिनांक ०६/०६/२०१७,

क्रमांक एफ ४-१२/२००४/११/६:: भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२, (क.९ सन् १९३२) की धारा ५८, ५८(४), ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ के शुल्क में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा ७१ की उपधारा (३) से अपेक्षित अनुसार पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र, भाग-१, दिनांक १ जुलाई २०१६ में प्रकाशित किया जा चुका है और उसके संदर्भ में कोई अभ्यावेदन अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

यतः भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२, (क.९ सन् १९३२) की धारा ७१ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ५८, ५८(४), ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

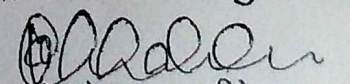
भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२, (क.९ सन् १९३२) की धारा ५८, ५८(४), ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ के शुल्क को संशोधित कर अधिकतम शुल्क निम्नवत् उद्गृहीत होंगे:-

क्र.	दस्तावेज या कार्य जिसके संबंध में शुल्क देय है।	संशोधित शुल्क
१.	धारा ५८ के अधीन कथन	६४०/-रुपये
२.	धारा ५८ (४) के अधीन अपील ज्ञापन	२७५/-रुपये
३.	धारा ६० के अधीन कथन	१२८/- रुपये
४.	धारा ६१ के अधीन प्रज्ञापना	१२८/- रुपये
५.	धारा ६२ के अधीन प्रज्ञापना	६५/- रुपये
६.	धारा ६३ के अधीन सूचना	१२८/- रुपये
७.	धारा ६४ के अधीन आवेदन	६५/- रुपये

टीप:-(१) शुल्क में उपरोक्त वृद्धि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(२) प्रत्येक २ वर्ष पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित दरों में ५ प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसे निकटतम रूपये में पूर्णांकित कर प्रभावी मानी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(व्ही.के.छबलानी)